न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **143/2010** दायर दिनाँक **18.10.2010**

वादी		प्रतिवादीगण
1. भंवरी पुत्री आसुराम उर्फ आशाराम पत्नि दुलाराम जाति माली निवासी सिंघीबास डीडवाना, हाल निवासी बंगलाबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. पुसाराम गोद पुत्र आशाराम जाति माली निवासी सिंघीबास डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला–नागौर राज0 2. तहसीलदार डीडवाना 3. मूलचन्द पुत्र तुलछीराम जाति माली निवासी कुमाणियों बास, डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर। 4. दुलाराम पुत्र मोतीराम जाति माली निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 5. कानाराम पुत्र उदाराम जाति माली निवासी सिंघीबास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह वकील वादी।
2. श्री राजेन्द्र कुमार माथुर वकील प्रतिवादी सं0 01, 03, 04, 05।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **04.03.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि वादीनी स्व0 आसूराम की जायन्दा पुत्री है, प्रतिवादी सं0 एक पुसाराम चिमनाराम का जायन्दा पुत्र है, मगर वादीनी के स्व0 पिता आसुराम ने गोद ले लिया।

यह है कि शरहद डीडवाना वर्तमान खेत खसरा सं0 1757 रकबा 20 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 1765 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं0 1893 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 2297 रकबा 0.08 बीघा गै0 मु0 बाड़ा, खसरा सं0 2302 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 2422 रकबा 0.06 बीघा, खसरा सं0 2423 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा कुल रकबा 52 बीघा 10 बिस्वा भूमि है, जिसके पुराना खसरा सं0 1812 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं0 1819 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं0 1819 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 1690, खसरा सं0 1691 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 1690 रकबा 06 बिस्वा, खसरा सं0 1690 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा है। जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां वाद के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि वादग्रस्त भूमि वादीनी की पैत्रिक सम्पति की रही है। सम्बत 2018 की खातेदारी में वादग्रस्त भूमि वादीनी के पिता आसुराम पुत्र डुंगाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में रही है। वादग्रस्त भूमि में वादीनी का 1/2 हिस्सा पैत्रिक सम्पति की भूमि होने से है एवं वादीनी समय–समय पर वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा में काश्त करती आई है, मगर [illegible] वृद्ध हो गई है, इसलिए वादीनी अपने गोद लिये भाई के विश्वास [illegible] रही [illegible] वर्तमान में जमीनों के भाव बढ़ जाने के कारण प्रतिवादी के मन में लालच [illegible] खसरा सं0 2423 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा भूमि सिंघीबास की [illegible] के पास आ गई, जिसमें से कुछ भूमि प्रतिवादी पुसाराम ने केवल स्टाम्प पर मोहनलाल चौहान व हनुमानराम टाक आदि को बैचाण कर दी, मगर उक्त [illegible] रजिस्टर्ड नही होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 11:58:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

के कारण वादीनी ने इनको प्रतिवादी नही बनाया है। इनका नाम भी खातेदारी में नही आया है। प्रतिवादी पैत्रिक सम्पति की भूमि का बैचाण बिना बंटवारा के कर रहा है, इसलिए वादीनी को घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा का वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

यह है कि वादीनी को प्रतिवादी पुसाराम हमेशा आश्वासन देता रहा कि आप के पिता की वाद ग्रस्त भूमि है, आप जब चाहोगें, तब आपके नाम करवा दूंगा। वादीनी इतने दिनों तक अपने पिता के गोद पुत्र भाई के विश्वास में रही इस वर्ष मई माह में होने पर वादीनी अपने हिस्से में काश्त करने गई तो प्रतिवादी आमादा–फिसाद हुआ व कहा कि इस वर्ष काश्त को अवेरने नहीं दूगा, जिससे वादीनी ने दिनांक 19.08.2010 को पुराने खातेदारी की नकल एवं दिनांक 06.09.2010 को खतोनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की। जिस पर वादीनी को पता चला कि वादग्रस्त भूमि पैत्रिक सम्पति की होते हुए भी वादीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। जिससे वादीनी के अधिकारों पर कुठाघात होने को स्थायी निषेधाज्ञा का दावा करना लाजमी आया है।

यह है कि तहसीलदार लैण्ड होल्डर होने से एवं बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। इसलिए दावा करने से पूर्व दो माह की अवधि का नोटिस नही दिया। यह वाद आपसी भाई बंट का ही है। तहसीलदार उप पंजियक अधिकारी भी है, इसलिए इनके नाम आदेश प्रदान करावें कि दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का बैचाण, हस्तान्तरण, गिरवीनामा बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत हो तो उसका पंजियन नही करें।

यह है कि मालियता दावा बगर्ज अख्त्यार अदाय कार्ट फीस के मुकरर्र 1/– 1/– रूपये के दो स्आम्प पेश है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:–

कि वाकै शरहद डीडवाना के खेत खसरा सं0 1757 रकबा 20 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 1765 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं0 1893 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 2297 रकबा 08 बिस्वा, खसरा सं0 2302 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 2422 रकबा 06 बिस्वा तथा खसरा सं0 2423 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा कुल रकबा 52 बीघा 11 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा का खातेदारी घोषित किया जावें एवं उक्त खसरान का विधिवत बंटवाड़ा कर वादीनी का 1/2 हिस्सा में नाम अलग खातेदारी में दर्ज भी करावें।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 02 बावजुद तामील के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष प्रतिवादी की तरफ से जवाब पेश हुआ। जो निम्न प्रकार है:–

यह है कि वाद–पत्र का पद सं0 01 वादी साबित करें। यह है कि वाद–पत्र सं0 02 में वर्णित तथ्य इस हद तक स्वीकार है कि उक्त वाद में वर्णित नये खसरा नम्बर की भूमि प्रतिवादी पुसाराम के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की है। इस पद में वर्णित पुराना खसरा सं0 की जानकारी प्रतिवादी को नही है। अतः इस सीमा तक यह पद अस्वीकार है। यह है कि वाद–पत्र का पद सं0 03 जिस रूप में लिखा गया है, वह असत्य है तथा अस्वीकार है वादीनी का यह कथन पूर्णतया असत्य है कि वादग्रस्त भूमि में वादीनी भंवरी का 1/2 हिस्सा हो अथवा वादीनी का कभी भी उक्त कथित 1/2 भाग में कोई कब्जा काश्त हो। शेष पद वादीनी साबित करें। वादीनी का घोषणा खातेदारी व बंटवारा का वाद गलत है जिस बाबत [illegible] दिया गया है।

यह है कि वाद का पद सं0 4 जिस प्रकार [illegible] लिखा गया है वह असत्य है तथा अस्वीकार है। वादीनी का यह कथन [illegible] है कि प्रतिवादी पुसाराम ने इस पद में वर्णित अनुसार कभी भी कोई [illegible] आश्वासन वादीनी को दिया हो। वादीनी का यह कथन भी गलत है कि वादीनी कभी भी वादित भूमि में इस पद में वर्णित अनुसार काश्त करने गयी हो। वादीनी का यह कथन भी गलत है कि इस पद में वर्णित अनुसार उसे राजस्व अभिलेखों की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 11:58:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

हुई हो। जब वादीनी का कभी भी उक्त वादित खसरा सं0 या इनके किसी भाग पर कभी कोई कब्जा काश्त ही नही है। वादीनी का स्थायी निषेधाज्ञा का वाद भी गलत है।

यह है कि वाद–पत्र का पद सं0 5 जिस प्रकार लिखा गया है, वह गलत है तथा अस्वीकार है। तहसीलदार एवं उप पंजियन अधिकारी के विरूद्ध यह वाद प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नही है, परन्तु दो माह की अवधि का कानूनी नोटिस नही दिया गया है। जिसके अभाव में यह वाद खारिज किये जाने योग्य है। यह है कि वाद–पत्र सं0 06 वाद हेतुक है, पूर्णतया गलत है, तथा अस्वीकार है। यह है कि वाद–पत्र का पद सं0 07 कानूनी है।

यह है कि वाद–पत्र का पद सं0 08 अनुतोष पद है, जो पूर्णतया असत्य है तथा अस्वीकार है। वादीनी प्रतिवादी के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

विशेष आपत्ति

यह है कि वादीनी को वादित खसरा नम्बर की भूमि में किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। वादीनी का विवाह सम्बत 2002 अर्थात ईसवी सन् 1945 में ही हो गया था। उस समय हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम का प्रार्दुभाव ही नही हुआ था। ऐसी स्थिति में भी वादीनी का उक्त वादित भूमि में किसी प्रकार कोई विधिक अधिकार होने का प्रश्न नही है।

यह है कि वादीनी के अभिवचनों में भी विरोधाभास है, वाद पत्र के पद सं0 4 में एक ओर तो वह प्रतिवादी पुसाराम द्वारा हमेशा आश्वासन की बात बताती है। (जिसे प्रतिवादी अस्वीकार करता है) दुसरी और वाद हेतुक दिनांक 19.08.2010 व दिनांक 06.09.2010 का बताती है। जिससे स्पष्ट है कि वादीनी स्पष्ट रूप से असत्य कथन कर रही है।

यह है कि वादित खसरा सं0 2302 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा का बैचाण प्रतिवादी द्वारा दिनांक 27.07.2010 को जरिये पंजिकृत विक्रय–विलेख के एक मूलचन्द सिंगोदिया व दुलाराम सोंलकी को किया जाकर इनका पंजिकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विवादित खसर सं0 2443 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा में से 2000 वर्ग फुट भूमि का बैचाण दिनांक 27.07.2010 को जरिये पंजिकृत विक्रय विलेख के कानाराम चौहान को कर दिया गया है। उक्त दोनो ही विक्रय विलेखों के क्रेतागण ने विक्रीत भूमि का कब्जा–काश्त भी प्राप्त कर लिया है और राजस्व अभिलेख खातेदारी में उनका नाम भी दर्ज हो गया है। ऐसी स्थिति में वादीनी ने न तो उक्त विक्रय विलेखों को कोई चुनोती दी है और न क्रेता पक्ष को खातेदारों का इस वाद में पक्षकार बनाया है। ऐसी स्थिति में वादीनी का वाद पोषणीय नही है। आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है और वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

यह है कि प्रतिवादी के पिता आसुराम का स्वर्गवास 1954 में ही हो चुका था, उस समय भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में नही था। ऐसी स्थिति में भी वादीनी का कोई विधिक अधिकार उक्त वादित भूमि में नही है। वादित भूमियों का लगभग 1965 के आस–पास प्रतिवादी के नाम नामान्तकरण किया जा चुका है। जिसे वादीनी ने कभी भी चुनौती नही दी और न ही दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में भी वादिनी का वाद प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी का वाद मय खर्चा खारिज करने की कृपा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 11:58:34 IST
Reason: SelfAttested

वाद में निम्न तनकियात कायम की [illegible]

1. आया वादिनी सरहद डी[illegible] 2297, 2302, 2422, 2423 [illegible] से खातेदारी घोषणा करवा[illegible] वादीनी)
2. आया वादिनी आराजी उपर्युक्त में स्थायी निषेध[illegible] प्राप्त रकने की अधिकारी है। (जिन्मे वादीनी)

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

3. आया प्रतिवादी पुसाराम ने पैत्रृक सम्पति की भूमि खसरा सं0 2302 रकबा सम्पूर्ण व खसरा सं0 2423 में से 2000 वर्गफुट भूमि का बेचान बिना किसी अधिकार व प्रतिफल के कर दिया जो काबिले निरस्त है। (जिन्मे वादीनी)
4. आया वादीनी का विवाह संवत 2002 अर्थात ईस्वी सन् 1945 में होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम का प्रार्दुभाव ही नहीं था। (जिन्मे प्रतिवादी)
5. आया प्रतिवादी के पिता आसुराम का स्वर्गवास सन् 1954 में होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में नहीं था, इसलिए वादीनी खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। (जिन्मे प्रतिवादी)

वाद में बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है:-

1. तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार वादीनी का है। वादीनी ने अपने वाद में साक्ष्य के समर्थन में प्रदर्श-1 जमाबन्दी प्रदर्श-2 गत खतौनी व खसरा मिलान, प्रदर्श-3 विक्रय पत्र, प्रदर्श-4 विक्रय पत्र दस्तावेज पेश किये। वादीनी ने अपनी जिरह में अपने दस्तावेजों के बारे में पूर्णत अनभिज्ञता जाहिर की इसलिए उनके दस्तावेज साबित नहीं है। दस्तावेजों पर केवल प्रदर्श लगाने से दस्तावेज साबित होना नहीं माना जा सकता। अतः उक्त तनकी वादीनी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।
2. तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार वादीनी का है। वादीनी स्वयं अपनी जिरह में अपने दावें के अभिवचनों को अस्वीकार करती है तथा दावें में वर्णित अभिवचनों को उसके द्वारा लिखाया जाना अस्वीकार करती है। वाद पत्र देखे तो वादपत्र में वर्णित महत्वपूर्ण अभिवचनों में क्रमशः A से B, C से D, E से F, G से H आदि स्थानों पर लिखे अभिवचनों को अस्वीकार करती है। एक तरफ तो वादिनी पूसाराम को अपने वादपत्र में आसुराम का गोदपुत्र होना अभिवचित करती है तथा दुसरी तरफ अपने साक्ष्य के शपथ पत्र व जिरह में इन कथनों को अस्वीकार करती है तथा शपथ पत्र के मुख्य परीक्षा में पुसाराम को गोद नहीं लेना कहती है। एक और तो वादिनी अपने वाद पत्र के अनुतोष भाग में पुसाराम को अपना भाई मानते हुए वादित भूमि में 1/2 हिस्सा का अनुतोष मांगती है जबकि साक्ष्य के शपथ पत्र में मुख्य परीक्षा में पुरी जमीन की खातेदारी मांगती है। जिससे स्पष्ट है कि वादिनी अपने अभिवचनों व साक्ष्य में कहीं पर भी सत्य वचन नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि वह स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आई है। अतः इसी अनुरूप उक्त तनकी निर्णित की जाती है।
3. तनकी संख्या 03 को साबित करने का भार वादीनी का है। वादीनी अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से प्रतिवादी द्वारा दिये गये जवाब दावा में बताये अनुसार प्रतिवादी के पिता आसुराम का स्वर्गवास 1954 में हो जाने को स्पष्ट स्वीकार करती है। जब वादिनी स्वयं आसुराम का स्वर्गवास 1954 में हो जाना स्वीकार करती है तब वादीनी का दावा किसी भी रूप में चलने योग्य नहीं है। क्योंकि राज0 टेनेन्सी एक्ट सन् 1955 में प्रभाव में आया था तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में प्रभाव में आया था। तब उक्त अधिनियम के प्रावधान इस दावा में लागु नहीं हो सकते और वादिनी किसी प्रकार की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की [illegible] प्रतिवादी ने आसुराम का मृत्यू प्रमाण पत्र पेश कि[illegible] आसुराम की मृत्यु दिनांक 28.10.1954 द[illegible] की जाती है।
4. तनकी संख्या 04 को [illegible] प्रतिवादी का है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को अपने [illegible] पर खडे होकर वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 11:58:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

साबित करना होता है। प्रतिवादी की किसी कमजोरी या साक्ष्य पेश करने या न करने का लाभ लेने का वादी को अधिकार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है तो भी इस वाद के गुणवगुण पर कोई अन्तर नहीं पडता। जब तनकी संख्या 01 ता 03 को वादीनी ने अपने पक्ष में साबित नहीं किया है तो वह शेष तनकी का लाभ लेने की अधिकारिनी नहीं है। अतः इसी अनुरूप उक्त तनकी निर्णित की जाती है।

अतः तनकीवार निर्णय से स्पष्ट है कि वादीनी अपने पक्ष में एक भी तनकी निर्णित नहीं करवा सकी है। रेकर्ड के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि आसुराम का स्वर्गवास दिनांक 28.10.1954 को हो चुका था तथा राज0 टेनेन्सी एक्ट 1955 में व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में प्रभाव में आया। उक्त एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व ही वादीनी के पिता का स्वर्गवास हो चुका था ऐसी स्थिति में वादीनी पैत्रक सम्पति में अपना कोई हक हिस्सा नहीं रखती है। अतः वादीनी का वाद सारहीन होने से काबिले खारिज होने योग्य है।

–:आदेश :–

अतः तनकीवार निर्णय अनुसार वादीनी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **04.03.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 11:58:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 143/2010 दायर दिनाँक 18.10.2010

वादी		प्रतिवादीगण
1. भंवरी पुत्री आसुराम उर्फ आशाराम पत्नि दुलाराम जाति माली निवासी सिंघीबास डीडवाना, हाल निवासी बंगलाबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पुसाराम गोद पुत्र आशाराम जाति माली निवासी सिंघीबास डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला–नागौर राज0 2. तहसीलदार डीडवाना 3. मूलचन्द पुत्र तुलछीराम जाति माली निवासी कुमाणियों बास, डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर। 4. दुलाराम पुत्र मोतीराम जाति माली निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 5. कानाराम पुत्र उदाराम जाति माली निवासी सिंघीबास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 04.03.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीत सिंह वकील वादी व श्री राजेन्द्र कुमार माथुर वकील प्रतिवादी सं0 01, 03 ता 05 की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, तनकीवार निर्णय अनुसार वादीनी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–.................... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 04.03.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 11:58:34 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च जो चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner